सत्यनिष्ठा से बनेंगी मजबूत सिविल सेवाएं

राष्ट्रपति ने लोक सेवा आयोगों के राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया

हैदराबाद, 19 दिसंबर. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने शुक्रवार को भारत के प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने में संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) और राज्य लोक सेवा आयोगों की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करते हुए सिविल सेवा भर्ती प्रक्रिया में ईमानदारी और पारदर्शिता तैयार पर अधिक जोर देने का आह्वान किया.

राष्ट्रपति ने यहां रामोजी फिल्म सिटी में लोक सेवा आयोगों के अध्यक्षों के दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि एक ऐसे मंच में भाग लेना सौभाग्य की बात है जो देश भर से यूपीएससी और राज्य लोक सेवा आयोगों के प्रमुखों को एक साथ लाता है. राष्ट्रपति ने केन्द्रीय और राज्य लोक सेवा आयोगों के योगदान का उल्लेख भी किया.

कौशल की कमी को प्रशिक्षण के माध्यम से दूर करें : राष्ट्रपति

राष्ट्रपति ने कहा कि लोक सेवा आयोगों ने सरकारी प्रशासन में समानता, निष्पक्षता और व्यावसायिकता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. इन संस्थानों के माध्यम से चयनित सिविल सेवाएं भारत के आर्थिक विकास, राजनीतिक स्थिरता और प्रशासन के लिए बहुत अहम रही हैं, जिससे संघ लोक सेवा आयोग देश के सबसे भरोसेमंद संस्थानों में से एक बन गया है. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कौशल की कमी को प्रशिक्षण के माध्यम से दूर किया जा सकता है, लेकिन सत्यनिष्ठा की कमी ऐसी चुनौतियां पैदा करती है जिन पर काबू पाना मुश्किल है. ऐसे में भर्ती में सत्यनिष्ठा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए. लोक सेवा आयोगों को उम्मीदवारों के बीच नैतिक अभिविन्यास और संवेदनशीलता का आकलन करने के लिए बेहतर प्रक्रिया विकसित करनी चाहिए, विशेष रूप से समाज के हाशिए पर रह रहे और कमजोर वर्गों के प्रति. राष्ट्रपति ने भविष्य की चुनौतियों पर जोर देते हुए लोक सेवा आयोगों से उभरते तकनीकी मुद्दों का अनुमान लगाने, पारदर्शिता को मजबूत करने और भर्ती प्रक्रियाओं में दक्षता बढ़ाने का आह्वान किया.

सीरियल रेपिस्ट को चौथी बार उम्रकैद

बहराइच. मासूम बच्चियों को घर से उठाकर दुष्कर्म करने के दोषी अविनाश पांडेय उर्फ सिपल को चौथे और आखिरी मामले में भी उम्रकैद की सजा सुनाई गई. दोषी युवक पर 2.40 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. इससे पहले सीरियल रेपिस्ट को 24 सितंबर, 29 सितंबर व आठ अक्टूबर को उम्रकैद की सजा सुनाई जा चुकी है.

SCL Commercial India Private Limited
No. 303, 3rd Floor, Rohini Complex, Shakarpur, Delhi-110092

We would like to inform that **SCL Commercial India Private Limited** willing to market following 100 percent water soluble imported fertilizers in Madhya Pradesh as per FCO Order No. S.O. 2900(E) Dated 24th October 2015. We shall comply all the terms & conditions as per referred notification of Govt. of India. We hereby publish products information to all stakeholders. (Imported from Italy)

a) **Folimac 15:12:18** (N-15%, P_2O_5-12%, K_2O = 18%, + Multi TE) Imported 100% Water Soluble NPK Mixture
b) **Folimac 20:20:20** (N-20%, P_2O_5-20%, K_2O = 20%, + ZN-1%) Imported 100% Water Soluble NPK Mixture
c) **Folimac 22:22:15** (N-22%, P_2O_5-22%, K_2O = 15%, + Multi TE) Imported 100% Water Soluble NPK Mixture
d) **Folimac 15:30:15** (N-15%, P_2O_5-30%, K_2O = 15%, + Multi TE) Imported 100% Water Soluble NPK Mixture

Manufactured by: SCL Italia, Via Fabio Filzi 25/A 20124 Milano - Italy
Imported & Marketed by: SCL Commercial India Pvt. Ltd., New Delhi

अदम्य साहस ने बदला इतिहास का रुख

गोवा मुक्ति दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नमन

नई दिल्ली, 19 दिसंबर. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को गोवा मुक्ति दिवस पर स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को श्रद्धांजलि अर्पित की और इसे भारत की राष्ट्रीय यात्रा का एक महत्वपूर्ण अध्याय बताया.

पीएम मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, गोवा मुक्ति दिवस हमें हमारी राष्ट्रीय यात्रा के एक महत्वपूर्ण अध्याय की याद दिलाता है. हम उन लोगों के अदम्य साहस को याद करते हैं जिन्होंने अन्याय को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और साहस और दृढ़ विश्वास के साथ स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी. उन्होंने आगे कहा, उनके

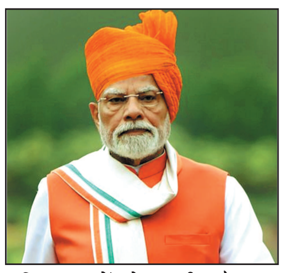

बलिदान हमें गोवा की चौतरफा प्रगति की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करते रहते हैं. इस अवसर पर राज्यपाल ने राजभवन का नाम लोक भवन किए जाने की घोषणा की. उन्होंने उन स्वतंत्रता सेनानियों और गुमनाम नायकों को श्रद्धांजलि दी जिन्होंने औपनिवेशिक शासन का विरोध किया और ऑपरेशन विजय के माध्यम से 19 दिसंबर 1961 को गोवा को आजादी दिलायी.

> राज्यपाल ने गोवा की प्रगति पर प्रकाश डालते हुए साक्षरता, गोवा बियॉन्ड बीचेज पहल के तहत स्थायी और समावेशी पर्यटन, और खेल और सांस्कृतिक विकास में प्रगति जैसी उपलब्धियों का उल्लेख किया. उन्होंने क्लीन एनर्जी रोडमैप 2050 के माध्यम से हरित भविष्य के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता पर भी जोर दिया. उन्होंने गोवावासियों से एक समृद्ध, जीवंत और लचीले भविष्य की दिशा में काम करते हुए अतीत के बलिदानों का सम्मान करने का आग्रह किया और न्याय, एकता और प्रगति के प्रति राज्य के समर्पण की पुष्टि की.

भ्रष्टाचार मुक्त गोवा ही सच्ची श्रद्धांजलि

गोवा मुक्ति दिवस पर केजरीवाल का नया संकल्प

गोवा, 19 दिसंबर. गोवा मुक्ति दिवस केवल अतीत की याद नहीं, बल्कि भविष्य की दिशा तय करने का अवसर है.

इस मौके पर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ने गोवावासियों को हार्दिक बधाई दी और स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की. उन्होंने कहा कि गोवा की आज़ादी उन वीरों के बलिदान का परिणाम है, जिनके सपनों का गोवा आज भी ईमानदार शासन और जनकल्याण की राह देख रहा है. केजरीवाल ने मुक्ति दिवस को सुशासन और जवाबदेही से जोड़ते हुए एक नया संकल्प सामने रखा. आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ने गोवा मुक्ति दिवस के अवसर पर स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करते हुए गोवावासियों को हार्दिक बधाई दी. उन्होंने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर साझा किए गए संदेश में कहा कि गोवा की आज़ादी हमें केवल इतिहास नहीं, बल्कि जिम्मेदारी भी सौंपती है.

> केजरीवाल ने लिखा कि आइए, हम अपने स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मान देते हुए एक भ्रष्टाचार मुक्त गोवा के निर्माण का संकल्प लें. उन्होंने कहा कि सच्ची आज़ादी तभी सार्थक होगी, जब हर नागरिक को सुलभ स्वास्थ्य सेवाएँ मिलें, बेहतर सड़कें हों और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध हों. उन्होंने गोवा के लोगों को अद्भुत बताते हुए कहा कि राज्य में अपार संभावनाएँ हैं, जिन्हें ईमानदार और पारदर्शी शासन के जरिए साकार किया जा सकता है.

कोडीन तस्करी की जांच में सपा का कनेक्शन!

> समाजवादी पार्टी बार-बार वही गलती करती है. धूल चेहरे पर होती है और आईने को किया जाता है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी दोहराया कि राज्य सरकार नशे और अवैध तस्करी के खिलाफ 'जीरो टॉलरेंस' की नीति पर काम कर रही है और दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा. ग़ौरतलब है कि एक दिन पहले ही समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर करोड़ों रुपये के कोडीन-युक्त कफ सिरप की अवैध आपूर्ति में संलिप्त लोगों को बचाने का आरोप लगाया था. यादव ने सपा विधायकों की बैठक के बाद यहां पार्टी मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि विधानसभा के आने वाले सत्र में उठाए जाने वाले कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसमें कथित कोडीन और कफ सिरप रैकेट एक बड़ी चिंता का विषय था.

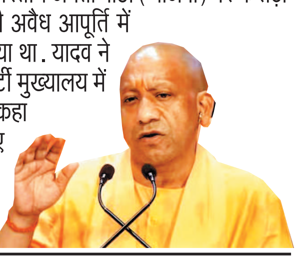

लखनऊ, 19 दिसंबर. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोडीन युक्त कफ सिरप की अवैध तस्करी के मामले पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा है कि इस संबंध में गलत तरीके से तस्करी के पुख्ता सबूत सामने आए हैं, जिसके बाद सरकार ने सख्त कार्रवाई की है.

इस मामले में बड़े स्तर पर गिरफ्तारियां भी की गई हैं. मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को विधानसभा में पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि जिन लोगों को पकड़ा गया है, उनके संबंध समाजवादी पार्टी (सपा) से हैं.

हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि अंतिम निष्कर्ष जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगा. योगी ने कहा, इस बारे में तभी कुछ कहा जाएगा जब जांच पूरी हो जाएगी. जांच पूरी होने दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा. उन्होंने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि यह कोई नई बात नहीं है.

कार्यालय कृषि उपज मंडी समिति आगर
जिला - आगर (म. प्र.)

क्रमांक / मंडी/ नि./ 25-26 / 2364 आगर दिनांकः - 17.12.2025

- / / निविदा आमंत्रण सूचना / /-

प्रमुख अभियंता म.प्र. लोक निर्माण विभाग में उपयुक्त (एकीकृत पंजीयन प्रणाली) पंजीकृत निविदाकारो से प्रतिशत दर आधार पर सिस्टम निविदाएँ क्रमांक 2025_MPSAM_469459_1, 2025_MPSAM_469460_1, 2025_MPSAM_469461_1 के अंतर्गत ऑनलाईन निविदाएँ दिनांक 22.12.2025 समय 05.30 से दिनांक 12.01.2026 को साय 5:30 बजे तक आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र एवं अन्य जानकारी निविदाकारों को म.प्र. शासन के ई-निविदा के पोर्टल http//www.mptenders.gov.in/nicgep / app पर प्राप्त होगी, एवं उक्त निविदा से संबंधित समस्त जानकारी मंडी बोर्ड के पोर्टल http//www.mpmandiboard.gov.in पर भी अवलोकनीय होगी।

नोटः - आवश्यक होने पर उपरोक्त निविदा सूचना से संबंधित किसी भी प्रकार के संशोधन सूचना अथवा अन्य जानकारी केवल उपरोक्तानुसार पोर्टल पर ही प्रदर्शित किया जावेगा।

सचिव, कृषि उपज मंडी समिति, आगर जिला आगर मालवा (म.प्र.)
भारसाधक अधिकारी, कृषि उपज मंडी समिति, आगर जिला आगर मालवा (म.प्र.)

संपदा प्रबंधन म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल प्रक्षेत्र इंदौर

आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है, कि स्टेडियम ग्राउण्ड नंदानगर इंदौर स्थित भूखण्ड कं - एम आय जी भवन के पीछे श्री विद्याशंकर शुक्ला पिता श्री बद्रीप्रसाद शुक्ला के नाम से म.प्र. गृह निर्माण मण्डल द्वारा आवंटित किया गया था। आवंटी का देहांत दिनांक 01.01.2024 को हो गया है। तथा इनके देहांत के पश्चात उक्त सम्पत्ति के वैध वारिस के रूप मे इनकी पत्नी श्रीमती संध्या शुक्ला, एवं दो पुत्र श्री आशीष शुक्ला, श्री मनीष शुक्ला ही हैं। अन्य कोई वारिस नही है। आवंटी की मृत्यु उपरांत मण्डल रिकार्ड से उनका नाम विलोपित किया जावे एवं मण्डल के रिकार्ड मे उक्त भूखण्ड श्री आशीष शुक्ला पिता स्व. विद्याशंकर शुक्ला के नाम पर किया जावे। तथा इस नामांतरण मे इनकी माता श्रीमती संध्या शुक्ला एवं एक भाई श्री मनीष शुक्ला की पूर्ण सहमति है। जोकि विचाराधीन है। उक्त संपति के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति / उत्तराधिकारी/संस्था/ वित्तीय संस्था इत्यादि को कोई आपति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस के अन्दर लिखित रूप में मय सबूत के साथ इस कार्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करे । समयावधि समाप्त होने के पश्चात कोई आपत्ति स्वीकार नहीं की जावेगी एवं मंडल नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

सम्पदा अधिकारी
म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल

कब्जा नोटिस

जबकि, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 की धारा 13 (12) के साथ पठित नियम 3 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उधारकर्ता/सह-उधारकर्ताओं को मांग नोटिस जारी किए हैं, जिनमें उधारकर्ताओं से अनुरोध किया गया है कि वे संबंधित नामों के समक्ष उल्लिखित राशि को उक्त नोटिस की प्राप्ति से 60 दिनों के भीतर उक्त नोटिस में उल्लिखित लागू दरों पर ब्याज सहित चुकाएं, साथ ही भुगतान और/या वसूली की तिथि तक किए गए आकस्मिक व्यय, लागत, शुल्क आदि को भी लागू ब्याज सहित चुकाएं।

क्र.	लोन नं.	देनदार/सह-देनदार/बंधक	13 (2) नोटिस तिथि/ बकाया राशि (रु.)	तिथि/समय व कब्जा तिथि
1.	47170430000850	1) श्री दरबार सिंह पुत्र गोरधन सिंह 2) श्रीमती रेखा पत्नी दरबार सिंह	30.09.2025, रुपए 5,21,146.42/- (रु. पांच लाख इक्कीस हजार एक सौ छियालीस और पैसा बयालीस मात्र) दिनांक 15.09.2025 तक.	दिनांक: 14.12.2025 समय: दोपहर 2.35 बजे प्रतीकात्मक कब्जा
सुरक्षित संपत्ति का विवरण- प्लॉट/मकान संख्या 27/3, कुल क्षेत्रफल 1100 वर्ग फुट सहित उस पर निर्मित भूमि का वह पूरा टुकड़ा, जो सर्वे संख्या 239 का हिस्सा है, ग्राम - लखमनखेड़ी, पी.एच. संख्या 48 में स्थित है, ग्राम पंचायत जेटपुरा, तहसील एवं जिला आगर मालवा (मध्य प्रदेश) की सीमा के भीतर. इसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं- पूर्व में- विक्रम सिंह का मकान, पश्चिम में- आम सड़क, उत्तर में- दिलीप सिंह का मकान और दक्षिण में- गोकुल सिंह का मकान.				
2.	47170430000301	1) श्री सीताराम पुत्र नत्थू सिंह 2) श्रीमती पार्वती बाई पत्नी सीताराम	29.09.2025, रुपए 3,02,309.05/- (रु. तीन लाख दो हजार तीन सौ नौ और पैसा पांच मात्र) दिनांक 21.09.2025 तक.	दिनांक: 14.12.2025 समय: दोपहर 3.25 बजे प्रतीकात्मक कब्जा
सुरक्षित संपत्ति का विवरण- मकान संख्या 136 वाली वह पूरी ज़मीन, जिसका कुल क्षेत्रफल 797.50 वर्ग फुट (74.11 वर्ग मीटर) है, और उस पर बने निर्माण सहित, ग्राम-हरंगांव, पीएच संख्या 30, ग्राम पंचायत हरंगांव, तहसील एवं जिला शाजापुर (मध्य प्रदेश) की सीमा के भीतर स्थित है. इसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं- पूर्व में- महेश का मकान, पश्चिम में- नाथू सिंह का मकान, उत्तर में- राधेश्याम का मकान और दक्षिण में- आम सड़क.				
3.	45580440000047	1) श्री राजाराम पुत्र केरिंग मुनिया 2) श्रीमती संगीता पत्नी राजाराम	29.09.2025, रुपए 2,81,262.44/- (रु. दो लाख इक्यासी हजार दो सौ बांसठ और पैसा चवालीस मात्र) दिनांक 21.09.2025 तक.	दिनांक: 12.12.2025 समय: शाम 5.30 बजे प्रतीकात्मक कब्जा
सुरक्षित संपत्ति का विवरण- आबादी खसरा संख्या 337/1/2/2 का वह पूरा भूखंड, जिसका कुल क्षेत्रफल 812 वर्ग फुट है, पी.एच. संख्या 48, ग्राम भोजपुरा में स्थित है, ग्राम पंचायत खेदिकला, तहसील सैलाना, जिला रतलाम (मध्य प्रदेश) की सीमा के भीतर. इसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं- पूर्व में- संगीता बाई की संपत्ति, पश्चिम में- खुला मैदान, उत्तर में- खुला मैदान और दक्षिण में सड़क.				
4.	33049420003340 33049420003570 33049410000608	1) श्री राधा मोहन यादव पुत्र दिनेश यादव 2) श्रीमती शांति बाई यादव पत्नी दिनेश यादव	30.09.2025, रुपए 14,70,580.62/- (रु. चौदह लाख सत्तर हजार पांच सौ अस्सी और पैसा बांसठ मात्र) दिनांक 21.09.2025 तक.	दिनांक: 11.12.2025 समय: 11.20 बजे प्रतीकात्मक कब्जा
सुरक्षित संपत्ति का विवरण- मकान/प्लॉट संख्या 264 वाली वह पूरी ज़मीन, जिसका कुल क्षेत्रफल 480 वर्ग फुट (44.59 वर्ग मीटर) है, और उस पर निर्मित भवन सहित, सर्वे संख्या 65/1/2/1/1/2 का हिस्सा है, जो वार्ड संख्या 28, ग्राम बागदून, पीएच संख्या 59/117, पीथमपुर नगर पालिका, आर.एन.एम. 04 सागर, विकास खंड - नलछा, तहसील पीथमपुर और जिला धार (मध्य प्रदेश) के अंतर्गत स्थित है. इसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं- पूर्व में- सामान्य सड़क, पश्चिम में- प्लॉट संख्या 178, उत्तर में- प्लॉट संख्या 265 और दक्षिण में- प्लॉट संख्या 263.				
5.	30609420000463	1) श्री सोहेल शेख पुत्र आकिल हुसैन 2) श्री साहिल शेख पुत्र आकिल हुसैन 3) श्रीमती शमीम बी पत्नी आकिल हुसैन	29.11.2025, रुपए 12,47,061.28/- (रु. बारह लाख सैंतालीस हजार इकसठ और पैसा अट्ठाइस मात्र) दिनांक 21.09.2025 तक.	दिनांक: 18.12.2025 समय: दोपहर 12.10 बजे प्रतीकात्मक कब्जा
सुरक्षित संपत्ति का विवरण- प्लॉट संख्या 34 वाली वह पूरी भूमि, जिसका क्षेत्रफल 637.50 वर्ग फुट (59.24 वर्ग मीटर) है, और उस पर निर्मित भवन सहित, जो भूमि सर्वेक्षण संख्या 639/2/1, 637 पैकी, 641 पैकी, 642 पैकी, 643 पैकी, 644 पैकी, 654 पैकी का हिस्सा है, वार्ड संख्या 35 (सरल संख्या 699), ग्राम - देवास सीनियर, लोक निर्माण संख्या 39, तहसील एवं जिला देवास (मध्य प्रदेश) में स्थित है. सीमाएँ- पूर्व में- प्लॉट संख्या 7, पश्चिम में- सड़क, उत्तर में- प्लॉट संख्या 35 और दक्षिण में- प्लॉट संख्या 33.				
6.	33039610000126	1) श्री विनय वर्मा पुत्र नरेंद्र वर्मा 2) श्रीमती लीना वर्मा पत्नी विनय वर्मा	30.09.2025, रुपए 42,93,938.01/- (रु. बयालीस लाख तिरानवे हजार नौ सौ अड़तीस और पैसा एक मात्र) दिनांक 21.09.2025 तक.	दिनांक: 26.11.2025 समय: 9.30 बजे प्रतीकात्मक कब्जा
सुरक्षित संपत्ति का विवरण- प्लॉट संख्या 05, पैकी भाग संख्या 13 (पंक्तिबद्ध मकान), कुल क्षेत्रफल 510 वर्ग फुट (47.39 वर्ग मीटर), राम कमल रेजीडेंसी, ग्राम नैनोद, पुराना लोक निर्माण भवन संख्या 07 (नया लोक निर्माण भवन संख्या 02), नगर निगम इंदौर, तहसील एवं जिला इंदौर (मध्य प्रदेश) की सीमा के भीतर स्थित भूमि का वह पूरा टुकड़ा. सीमाएँ- पूर्व में- भाग संख्या 8, पश्चिम में- सड़क, उत्तर में- भाग संख्या 14 और दक्षिण में- भाग संख्या 12.				
7.	36410430000217	1) श्री बहरूलाल पुत्र नंदा 2) श्रीमती शालिताबाई पत्नी बहरूलाल	30.09.2025, रुपए 4,02,792.01/- (रु. चार लाख दो हजार सात सौ बानवे और पैसा एक मात्र) दिनांक 15.09.2025 तक.	दिनांक: 04.12.2025 समय: दोपहर 1.50 बजे प्रतीकात्मक कब्जा
सुरक्षित संपत्ति का विवरण- प्लॉट/मकान संख्या 23 वाली वह पूरी ज़मीन, जिसका कुल क्षेत्रफल 1610 वर्ग फुट (149.62 वर्ग मीटर) है, और उस पर बने निर्माण सहित, ग्राम- सलाखेड़ी, पी.एच. संख्या 28 में स्थित है, जो ग्राम पंचायत अरवलिया सोलंकी, तहसील आलोट, जिला रतलाम (मध्य प्रदेश) की सीमा के भीतर आती है. इसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं- पूर्व में- मुख्य सड़क, पश्चिम में- दिनेश का प्लॉट और शांतिलाल का मकान, उत्तर में- मुख्य सड़क और दक्षिण में- जगदीश जी का मकान.				

चूंकि, ऊपर उल्लिखित उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/गारंटर/बंधककर्ता देय राशि का भुगतान करने में विफल रहे हैं, विशेष रूप से ऊपर उल्लिखित उधारकर्ताओं और आम जनता को सूचित किया जाता है कि जन लघु वित्त बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित संपत्तियों/सुरक्षित परिसंपत्तियों को उक्त नियमों के नियम 8 के साथ, उपरोक्त तिथियों पर अपने कब्जे में ले लिया है. विशेष रूप से ऊपर उल्लिखित उधारकर्ताओं/सह-उधारकर्ताओं/गारंटर/बंधककर्ताओं और आम जनता को एतद् द्वारा चेतावनी दी जाती है कि वे उपरोक्त संपत्तियों/सुरक्षित परिसंपत्तियों से संबंधित कोई भी लेन-देन न करें और उक्त संपत्तियों/सुरक्षित परिसंपत्तियों से संबंधित कोई भी लेन-देन जन लघु वित्त बैंक लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा.

स्थान: इन्दौर
दिनांक: 20.12.2025

हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी
कृते जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड

JANA SMALL FINANCE BANK (A Scheduled Commercial Bank)

रजिस्टर्ड आफिस: द फेयरवे, ग्राउंड व प्रथम तल, सर्वे नं. 10/1, 11/2 व 12/2 बी, ऑफ डोलमुर, कोरामंगला इनर रिंग रोड, ईजीएल बिजनेस पार्क के बगल में, चल्लाघट्टा, बंगलौर-560071. **ब्रांच आफिस-** प्लाट नं. 306-ए, पीयू-4, स्कीम नं. 54, कंट्री इन होटल के पास, मेन ए.बी. रोड, विजय नगर, इन्दौर-452010.

आज का इतिहास

1783 जॉर्जिया को रूस का संरक्षक बनाया गया।
1830 चिली में दास प्रथा समाप्त कर दी गई।
1834 पुर्तगाल में लिबरल युद्ध समाप्त हुआ।
1870 अमेरिका में पहली अंतरदेशीय रेल सेवा की शुरुआत हुई।
1911 प्रसिद्ध बाँसुरी वादक पन्नालाल घोष का जन्म।
1937 प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता मनोज कुमार का जन्म।
1944 300 लड़ाकू विमानों ने जर्मनी पर बम गिराए।
1945 बंगलोर स्थित विप्रो कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष अज़ीम प्रेमजी का जन्म।
1999-अमेरिकी अंतरिक्ष यान कोलंबिया का सफल प्रक्षेपण।

निफ्ट ने परीक्षा के लिए आवेदन शुल्क घटाया

नई दिल्ली. राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट) ने फैशन डिजाइन, प्रबंधन और प्रौद्योगिकी के विभिन्न स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में वर्ष 2026-27 बैच के लिए प्रवेश परीक्षा के आवेदन शुल्क में कटौती करते हुये नये शुल्क की घोषणा की है. निफ्ट ने नये सत्र के पाठ्यक्रमों की प्रक्रिया शुरू करने के साथ ही यह घोषणा की है. वर्ष 2026-27 बैच के लिए, शुल्क 3,000 रुपये से घटाकर 2,000 रुपये कर दिया गया है, जो ओपन, ओबीसी (एनसीएल) के लिए है.

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला आगर मालवा (म.प्र.)
E-mail-Modgmaga@mp.gov.in

क्रमांक / खनिज /2025/ आगर मालवा दिनांक / /2025

-:: सूचना ::-
(म. प्र. गौण खनिज निमय 1996 के नियम, 18 - क)

सूचित किया जाता हे कि, आवेदक श्री आकाश देसाई पिता राजेश देसाई निवासी पटमागली आगर तहसील आगर जिला आगर मालवा द्वारा म.प्र. गौण खनिज नियम 1996 के नियम, 18- क के तत् उत्खनिपट्टा प्राप्त करने हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र दिनांक 15/12/2025 को प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत आवेदन पत्र का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार :-

आवेदन का संक्षिप्त विवरण

जिला	तहसील	ग्राम	खसरा नंबर	रकबा	भूमि का प्रकार शासकीय/ निजी	खनिज का नाम	रिमार्क
आगर मालवा	आगर	सेमली	713 एवं 719	2.800 एवं 1.190	शासकीय भूमि	पत्थर, गिट्टी एवं एम. सेन्ड	नवीन आवेदन

उपरोक्त प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन पत्र में आवेदित क्षेत्र के संबंध में यदि किसी को कोई आपत्ति हो अथवा इस संबंध में कोई दावा प्रस्तुत करना चाहता हो तो इस सूचना के प्रकाशित होने की तारिख से 30 दिवस के भीतर कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा, जिला आगर मालवा में आपत्ति का लेख / कारण दर्शाते हुए लिखित रूप से प्रमाण सहित प्रस्तुत करे
नियत अवधि के उपरांत प्रस्तुत किसी भी आपत्ति / दावे पर विचार नहीं किया जाएगा।

(खनि अधिकारी)
(खनिज शाखा)
जिला आगर मालवा (म.प्र.)

G22912/25 'बच्चों की मुस्कान है अनमोल, इसे सुरक्षित रखें हर हाल'

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला आगर मालवा (म.प्र.)
E-mail-Modgmaga@mp.gov.in

क्रमांक/खनिज /2025/ आगर मालवा दिनांक / /2025

-:: प्रथम सूचना ::-
म.प्र. गौण खनिज निमय 1996 के नियम, 18- क के अंतर्गत उत्खनिपट्टा प्राप्त करने के लिए।

सूचित किया जाता है कि, आवेदक श्री आकाश देसाई पिता राजेश देसाई निवासी पटमागली आगर तहसील आगर जिला आगर मालवा द्वारा म.प्र. गौण खनिज नियम 1996 के नियम, 18 क के द्वारा खनिज पत्थर, गिट्टी, एवं एम. सेन्ड हेतु उत्खनिपट्टा प्राप्त करने हेतु निम्न क्षेत्र पर ऑनलाईन आवेदन पत्र दिनांक 15/12/2025 को प्रस्तुत किया गया है। दिनांक 23/01/2026 तक इस क्षेत्र पर यथास्थिति उत्खनिपट्टा आवेदन ऑनलाईन आमंत्रित किये जाते है। आवेदन ई-खनिज पोर्टल https://ekhanij.mp.gov.in पर किये जायेंगे। :-

आवेदन का संक्षिप्त विवरण

जिला	तहसील	ग्राम	खसरा नंबर	रकबा	भूमि का प्रकार शासकीय/ निजी	खनिज का नाम	रिमार्क
आगर मालवा	आगर	सेमली	713 एवं 719	2.800 एवं 1.190	शासकीय भूमि	पत्थर, गिट्टी एवं एम. सेन्ड	नवीन आवेदन

1. उपरोक्त प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन पत्र में आवेदित क्षेत्र के संबंध में अन्य इच्छुक आवेद 23/01/2026 तक (कार्यालयीन समय सांय 5:30 बजे तक) ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है।
2. यदि प्रकाशित विज्ञप्ति के उपरांत आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक 03 अथवा उससे अधिक अन्य आवेदकों के आवेदन पत्र प्राप्त होते हे, तो प्रथम आवेदन पत्र एवं अधिमान्यता तय करने के आशय से उसी दिन प्राप्त समझा जाएगा।
3. यदि प्रकाशित विज्ञप्ति में उल्लेखित आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि तक 03 से कम आवेदन पत्र प्राप्त होते है, तो पुनः 15 दिवस की अवधि आवेदन प्राप्त करने हेतु निर्धारित कर विज्ञप्ति प्रकाशित की जाएगी। विज्ञप्ति प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस के भीतर अन्य आवेदक भी उपरोक्त आवेदित क्षेत्र पर आवेदन प्रस्तुत कर सकेगें। उपरोक्त अवधि में प्राप्त आवेदन तथा पूर्व प्रकाशित विज्ञप्ति की अवधि के दौरान प्राप्त सभी आवेदन पत्र को म.प्र. गौण खनिज निमय 21 के तहत् अधिमान्यता तय करने के आशाय से उसी दिन प्राप्त किया गया समझा जाएगा।
4. यदि प्रथम एवं द्वितिय प्रकाशित विज्ञप्ति के उपरांत भी निर्धारित समयावधि में अन्य कोई आवेदन प्राप्त नहीं होता है तो प्रथम आवेदक के पक्ष में नियमानुसार खनि रियायत स्वीकृति पर विचार किया जायेगा।
5. निर्धारित समयावधि के उपरांत प्राप्त आवेदन पत्रों को विचार में नही लिया जाएगा।

(खनि अधिकारी)
(खनिज शाखा)
जिला आगर मालवा (म.प्र.)

G22913/25 'बच्चों की मुस्कान है अनमोल, इसे सुरक्षित रखें हर हाल'

कार्यालय उज्जैन नगर पालिक निगम, उज्जैन
छत्रपति शिवाजी भवन आगर रोड उज्जैन
(Online) निविदा आमंत्रण सूचना

विज्ञप्ति क्र / शि.वि. / 2025 / 2680 उज्जैन दिनांक : 18/12/2025

निम्नांकित कार्य के लिए प्रपत्र 'अ' (फार्म ए) में प्रतिशत कम या अधिक के आधार पर प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग म.प्र. शासन भोपाल के कार्यालय में पंजीकृत ठेकेदारों से उक्त विभाग में पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने पर ऑनलाईन (Online) निविदा आमंत्रित की जाती हैं, तथा ठेकेदार की (श्रेणी सी) एम.पी. गर्वमेंट व नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग म.प्र. भोपाल के एस.ओ. आर. 02.08.2021 अनुसार सिरियल क्र.1 का टेण्डर फार्म मूल्य 1000/- सिरियल क्र. 2 से 11 तक का टेण्डर फार्म मूल्य 2,000/- रहेगा।

सिरियल क्र. 1 से 9 तक का ऑनलाईन क्रय करने की अंतिम दिनांक 30.12.2025 समय 17:30, ऑनलाईन ई. एम. डी. राशि एवं समस्त दस्तावेज Submission करने की अंतिम दिनांक 30.12.2025 समय 17:30 रहेगी। सिरियल क्र. 1 से 17 तक का की ऑनलाईन निविदा दिनांक 01.01.2026 समय 11:00 बजे खोली जावेगी।

सिरियल क्र. 10 से 11 तक का ऑनलाईन क्रय करने की अंतिम दिनांक 15.01.2026 समय 17:30, ऑनलाईन ई.एम.डी. राशि एवं समस्त दस्तावेज Submission करने की अंतिम दिनांक 15.01.2026 समय 17:30 रहेगी। सिरियल क्र. 1 से 17 तक का की ऑनलाईन निविदा दिनांक 17.01.2026 समय 11:00 बजे खोली जावेगी।

विस्तृत निविदा आमंत्रण सूचना एवं अन्य जानकारी वेबसाइट www.mptenders.gov.in पर देखी जा सकती हैं। यदि उपरोक्त निविदा में किसी प्रकार का संशोधन होता है तो इसकी सूचना ऑन लाईन दी जावेगी। पृथक से समाचार पत्रों में प्रकाशित नही की जावेगी।

क्र.	टेंडर क्रमांक	कार्य का नाम	अनुमानित लागत	अर्नेस्टमनी रू.	समयावधि
1	3	4	5	6	7
1	2025_UAD_418030_5	वार्ड क्रमांक 42 अंतर्गत डी.ई.ओ. ऑफिस तथा जी.डी.सी. कॉलेज के सामने खुली भूमि पर जनसहायता केन्द्र निर्माण।	1,69,446/-	3400/-	30. दिन
2	2025_UAD_451687_3	वार्ड क्र. 37 अंतर्गत विभिन्न स्थानों पर 3 सीटर स्टील की कुर्सियां लगाये जाने बाबत।।	4,00,000/-	4000/-	30. दिन
3	2025_UAD_459278_2	वार्ड क्र. 37 अंतर्गत विभिन्न स्थानों पर स्पीड ब्रेकर लगाये जाने बाबत।	2,99,992/-	3000/-	30. दिन
4	2025_UAD_451682_3	वार्ड क्र. 45 शिवाजी पार्क कॉलोनी अंतर्गत मकान नम्बर 62 से 109 तक नाली निर्माण।	4,75,575/-	4800/-	30. दिन
5	2024_UAD_451674_3	वार्ड क्र. 45 शिवाजी पार्क कॉलोनी अंतर्गत भवन नम्बर 201 से 193 तथा शिवाजी पार्क विस्तार तक नाली तथा क्रॉसड्रेन निर्माण।	4,83,759/-	4850/-	30. दिन
6	2024_UAD_385789_7	वार्ड क्र. 52 अंतर्गत भर्तहरी नगर में विभिन्न स्थानों पर क्रॉसड्रेन निर्माण कार्य।	2,54,069/-	5100/-	30. दिन
7	2023_UAD_298944_11	वार्ड क्र. 52 अंतर्गत विक्रम नगर में सी.सी. रोड़ एजिंग तथा नाली निर्माण।	4,23,659/-	8500/-	30. दिन
8	2023_UAD_298937_11	वार्ड क्र. 52 अंतर्गत राजीव गांधी नगर में सी.सी. रोड़ एजिंग तथा नाली निर्माण।	4,23,564/-	8500/-	30. दिन
9	2023_UAD_298998_11	वार्ड क्र. 52 कोठी लाईन में नाला तथा नाली निर्माण।	3,38,947/-	6800/-	30. दिन
10	2025_UAD_468122_1	वार्ड क्र. 42 अंतर्गत विभिन्न स्थानो पर सी.सी सडक निर्माण कार्य।	11,06,476/-	8300/-	60. दिन
11	2025_UAD_468799_1	वार्ड क्र. 44 स्थित अम्बेडकर मांगलिक भवन में आवश्यक संधारण कार्य।	16,94,657/-	12710/-	90. दिन

कार्यपालन यंत्री
नगर पालिक निगम उज्जैन